


# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.गं.)


विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.04.2024 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 18.04.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
03.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
04.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
05.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
06.	प्रो० एच.एस. तिवारी	सदस्य
07.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
08.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
09.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
10.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
11.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
12.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
13.	प्रो० नीलकंठ पाणिग्रही	सदस्य
14.	प्रो० भुवना वेंकट रमन	सदस्य
15.	प्रो० हरित झा	सदस्य
16.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
17.	प्रो० के.के. चंद्रा	सदस्य
18.	डॉ० जय प्रकाश जायसवाल	सदस्य
19.	प्रो० वी.डी. मिश्रा	सदस्य
20.	प्रो० सीमा पाण्डेय	सदस्य
21.	प्रो० संजीत सरदार	सदस्य
22.	डॉ० सस्मिता पटेल	सदस्य
23.	डॉ० धीरज शुक्ला	सदस्य
24.	प्रो० भारती अहिरवार	सदस्य
25.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
26.	प्रो० अनुराग चौहान	सदस्य
27.	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
28.	डॉ० गौरी त्रिपाठी	सदस्य
29.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
30.	प्रो० देवेन्द्र पटेल	सदस्य
31.	डॉ० राघवेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
32.	डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा	सदस्य
33.	डॉ० रोहित राजा	सदस्य
34.	प्रो० सोमा दास	सदस्य
35.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
36.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
37.	प्रो० हरीश कुमार	सदस्य

  
18/04/2024

  
18/04/24

38.	प्रो० संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
39.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
40.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
41.	डॉ० अनीता खन्ना	सदस्य
42.	डॉ० घनश्याम दुबे	सदस्य
43.	डॉ० अरुण कुमार सिंह	सदस्य
44.	डॉ० व्ही.व्ही.एस. सूर्य कुमार दादी	सदस्य
45.	डॉ० बबिता माझी	सदस्य
46.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
47.	डॉ० दिलीप झा	सदस्य
48.	डॉ० विकास कुमार माण्डेय	सदस्य
49.	डॉ० शालिनी मेनन	सदस्य
50.	डॉ० एस. श्वेता	सदस्य
51.	डॉ० ए.के. शर्मा	सदस्य
52.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
53.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में ऑनलाइन उपस्थित थे :-

01. प्रो० संजीत कुमार गुप्ता, कुलपति, जे.सी.विश्वविद्यालय, बलिया सदस्य

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-


01. प्रो० नवीन कुमार विश्वकर्मा
02. प्रो० प्रदीप शुक्ला
03. प्रो० टंकेश्वर कुमार, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा
04. श्री महेन्द्र कुमार, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
05. श्री दीपक शर्मा, निशान्त इनक्लेव- 74, बंगला, भोपाल (म.प्र.)
06. श्री प्रदीप देशपाण्डे, रामाग्रीन सिटी, बिलासपुर. (छ.ग.)


बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने विद्यापरिषद् के समस्त सम्मानीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी संस्थान को महान बनने में यह एक मिसाल बनने में लंबा समय लगता है। जबकि हम सभी का कार्यकाल एक निश्चित समय के लिए होता है। एक संस्थान को अपना उत्कृष्ट स्वरूप लेने में सदियों लग जाते हैं। संस्था से जुड़े सभी लोग अपनी-अपनी क्षमता, योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। कार्य, स्वरूप, तरीका भले अलग-अलग हों, परन्तु सभी लोग आपस में संकलित एवं संगठित होकर संस्था को शीर्ष पर ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन का एक-एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रति दिन हम संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं। साथ ही समय-समय पर लक्ष्य का परिमार्जन, नवीनीकरण एवं उन्नयन जरूरी है। अंतिम लक्ष्य अंत्योदय यानी सबसे अंतिम में बैठके व्यक्ति का विकास होना चाहिए। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सरोकार है। आप सभी के त्याग, तपस्या एवं बलिदान से यह विश्वविद्यालय महान बनेगा। विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए सभी लगातार प्रयास कर रहें हैं। संस्थान का विकास सामूहिक प्रयास का नतीजा होता।

इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.-01 • विद्यापरिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 15.11.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 15.11.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

  
15/11/2024

  
15/11/2024

विषय क्र.-02

विद्यापरिषद की 17वीं बैठक दिनांक 15.11.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद की 17वीं बैठक दिनांक 15.11.2023 के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुए एवं सूचना ग्रहण की।

विषय क्र.-03

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 11.12.2023, 19.12.2023, 07.01.2024, 19.01.2024, 07.02.2024, 17.02.2024, 29.02.2024, 16.03.2024, 28.03.2024 एवं 10.04.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2023, 19.12.2023, 07.01.2024, 19.01.2024, 07.02.2024, 17.02.2024, 29.02.2024, 16.03.2024, 28.03.2024 एवं 10.04.2024 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-04

बी.टेक द्वितीय वर्ष में **Lateral Entry** के तहत प्रवेश हेतु अध्यादेश में संशोधन करने पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया गया कि बी.टेक द्वितीय वर्ष में **Lateral Entry** के तहत प्रवेश हेतु अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं संशोधन संबंधी आगामी कार्यवाही की जाए।

विषय क्र.-05

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के द्वारा बी.टेक. कार्यक्रम को संचालित किये जाने संबंधी अध्यादेश क्रमांक-12 में प्रस्तावित संशोधन पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के द्वारा बी.टेक. कार्यक्रम को संचालित किये जाने संबंधी अध्यादेश क्रमांक-12 में प्रस्तावित टीप में संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय एवं संशोधन संबंधी आगामी कार्यवाही की जाए।

विषय क्र.-06


विद्यापीठ मण्डल (स्कूल बोर्ड) का पुनर्गठन किये गये कृत-कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार।


विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विद्यापीठ मण्डल (स्कूल बोर्ड) के पुनर्गठन हेतु किये गये कृत-कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-07

एम.टेक अध्यादेश क्रमांक-76 में प्रस्तावित आंशिक संशोधन पर विचार बाबत।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि एम.टेक अध्यादेश क्रमांक-76 की धारा 31 में प्रस्तावित आंशिक संशोधन का अनुमोदन किया जाय एवं संशोधन संबंधी आगामी कार्यवाही की जाए।

  
18/04/2024

  
18/04/24



विषय क्र.-08

सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए एटीकेटी परीक्षा आयोजन संबंधी अध्यादेश संशोधन पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए एटीकेटी परीक्षा आयोजन संबंधी अध्यादेश में संशोधन की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।


यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त संशोधन स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए भी लागू किया जाए।

विषय क्र.-09


विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का जीवन बीमा कराये जाने के पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का जीवन बीमा कराये जाने के विद्यापरिषद की स्थायी समिति के निर्णय का अनुमोदन करते हुए समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाकर आगामी कार्यवाही की जाए।

बैठक के अंत में, कुलसचिव/सचिव ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

  
(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)

कुलपति/अध्यक्ष



(प्रो० मनीष श्रीवास्तव)

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव